बिहार सरकार

वित्त (अंकेक्षण) विभाग

बिहार पटना।

अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या :– 82/12–13

(1) परिचयात्मक :–

(क) अंकेक्षित लेखा का नाम – जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार कार्यालय मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण।

(ख) अंकेक्षण का अवधि – वर्ष 2008–09 से 2010–11 तक

(ग) प्रशासी विभाग का नाम – मानव संसाधन (विकास) विभाग, (प्रथामिक शिक्षा) बिहार, पटना।

(घ) अंकेक्षित अवधि के नियंत्री पदा0 का नाम, पदनाम एवं कार्यकाल –

जिला शिक्षक अधीक्षक (पूर्वी चम्पारण)

(ड़) अंकेक्षित अवधि के लेखा प्रभारी पदाधिकारी एंव कर्मचारियों का नाम/पदनाम एंव कार्यकाल –

1. श्री आदित्य नारायण सिंह, सदस्य (सेवानिवृत भा0 प्र0 से0 पदाधिकारी) 10.11.2008 से 15.1.2009 तक
2. श्री जगत पासवान, सदस्य (सेवानिवृत बिहार शिक्षा सेवा पदाधिकारी) 16.1.2009 से 22.12.2009 तक
3. श्री चन्द्र किशोर सिंह, सदस्य (सेवानिवृत बिहार न्यायिक सेवा पदाधिकारी) 23.12.2009 से अद्यतन

4. श्री अवधेश प्रसाद, कार्यालय सचिव 26.12. 2008 से 24.3.2009 तक
5. श्री गौरी शंकर महतो, कार्यालय सचिव 25. 3.2009 से 07.04.2010 तक
6. श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यालय सचिव 08.04. 2010 से अद्यतन।

(च) अंकेक्षण में सहयोग देनेवाले

पदा0/कर्म0 का नाम , पदनाम –

1. श्री सुरेन्द्र कुमार, कार्यालय सचिव।
2. श्री संजय कुमार सिंह, लिपिक

(छ) अंकेक्षको के नाम –

1. श्री अशोक कुमार , व0 अं0– 2
2. श्री अखिलेश्वर मिश्र ,व0 अं0–2
3. श्री महेश कुमार , व0 अं0 – 2

(ज) अंकेक्षण प्रारंभण तिथि – दि0 04.05.2012

(झ) अंकेक्षण समाप्ति तिथि – दि0 31.05.2012

(ञ) अंकेक्षण में व्यतीत कार्य दिवस – 16 कार्य दिवस

(ट) अंकेक्षण में प्रस्तुत एंव अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

अंकेक्षण प्रतिवेदन के परिशिष्ट 'क' संलग्न हैं।

(2) अंकेक्षण का क्षेत्र –

(i) अंकेक्षण का प्रकार – सामान्य अंकेक्षण।

(ii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग का आदेश संख्या एवं तिथि –

वित्त (अंकेक्षण) विभागीय ज्ञापांक 3286 दि0 15. 09.60 एवं मुख्य लेखा नियंत्रक, वित्त (अंकेक्षण)

विभाग के कार्यालय आदेश सं0– 58 दिनांक 17.4.12

(iii) कार्यालय का कार्यक्षेत्र – पूर्वी चम्पारण जिलान्तर्गत प्रारंभिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक नियोजन से संबंधित संशोधन नियमावली 2008 के तहत नियोजित शिक्षकों से संबंधित अपील की सुनवाई कर निर्णय देना।

(iv) वित्तीय स्त्रोत – आवंटन/ अनुदान

(v) कोषागार अभिलेख से सत्यापन की स्थिति : – इस कार्यालय द्वारा कोषागार से निकासी नही की गई थी इसलिये निकासी की गई राशि का कोषागार सत्यापन का प्रश्न नही उठता है। कोषागार में जमा की गई राशि का सत्यापन कोषागार अभिलेख से शत्–प्रतिशत किया गया एवं सही पाया गया।

(vi) महालेखाकार के पूर्व निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– अनुपालन प्रेषित किया गया है। नही किया गया है इस कार्यालय का गठन 2008–09 में किया गया है। गठन के पश्चात से अब तक महालेखाकार द्वारा इस लेखा का निरीक्षण नही किया गया है।

(vii) वित्त (अंकेक्षण) विभाग के पूर्व अंकेक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन की स्थिति :– कार्यालय के गठन के पश्चात इस कार्यालय का वित्त (अंकेक्षण) विभाग द्वारा प्रथम अंकेक्षण है।

(3) वित्तीय समीक्षा :–

(1) आवंटन की स्थिति में :– आवंटन से राशि प्राप्त नही हुई है।

(2) अनुदान की स्थिति में – क्या अनुदान से अधिक राशि का व्यय किया गया है/नही – नही

(3) प्राप्त अनुदान राशि का उपयोगिता प्रमाण– पत्र प्रशासी विभाग की प्रेषित किया गया था – हाँ

(4) रोकड़ पुस्त के संवरण शेष की स्थिति :– दिनांक 4.5.2012

(क) नकद राशि – शून्य

(ख) बैंक खाता में कुल राशि – 4469.00

(ग) इलाहाबाद बैंक मोतिहारी चालू खाता सं0 – 50010384221 बैंक खाता में सूद की राशि – शून्य

(घ) अग्रिम की राशि – शून्य

(ड़) असमायोजित अभिश्रव – शून्य

(च) अन्य (बैंक ड्राफ्ट्स बैंकर्स चेक आदि) :– शून्य

कुल योग– 4469.00

वित्तीय वर्ष 08–09, 09–10 एवं 10–11 का आय–व्यय विवरणी परिशिष्ट ''ख'' पर द्रष्टव्य है। इस कार्यालय को व्यय हेतु राशि राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में प्राप्त होती है जो मुख्य शीर्ष 2202 सामान्य शिक्षा से विकलित की जाती है। कार्यालय को शिक्षा विभाग के पत्रांक 3153 दिनांक 25.8.08 के आलोक में वर्ष 08–09 एवं 09–10 में अनुदान की राशि को उप निदेशक (प्राथमिक शिक्षा) द्वारा निकासी कर बैंक ड्राफ्ट द्वारा जिला शिक्षक नियोजन अपीलीय प्राधिकार पूर्वी चंपारण को उपलब्ध करायी गयी तथा 10–11 में जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा अनुदान की राशि को कोषागार से निकासी कर चेक द्वारा प्राधिकार को उपलब्ध करायी गयी। प्राप्त राशि का प्राधिकार द्वारा व्यय उसी वित्तीय वर्ष में किया जाता था शेष राशि को अगले वित्तीय वर्ष में व्यय किया गया तथा कतिपय अवशेष राशि रूपये 414859.00 को कोषागार चालान सं0 358 दिनांक 14.12.10 को जिला कोषागार मोतिहारी, पूर्वी चम्पारण शीर्ष 2202019110102 में जमा किया पाया गया।

चूँकि कार्यालय को पहला अनुदान दिनांक 07.01.09 को प्राप्त हुआ था इसलिये वर्ष 08–09 में प्रारंभण शेष शून्य से रोकड़ का संधारण किया पाया गया।

सामान्य रोकड़ पुस्त के अनुसार अंकेक्षणाधीन वित्तीय वर्ष में विभिन्न तिथियों को प्रारंभण शेष एवं संवरण शेष की स्थिति निम्नवत् है :–

दिनांक 01.4.2008 / 25.8.08 का प्रारंभण शेष (गठन की स्थिति)	शून्य
दिनांक 31.3.09 का संवरण शेष	449000.00
दिनांक 31.03.10 का संवरण शेष	1082766.00
दिनांक 31.3.11 का संवरण शेष	103315.00

(4) अंकेक्षित कार्यालय के स्वीकृत / कार्यरत / रिक्त पदों का विवरण

क्रमांक	पद का नाम	स्वीकृत बल	कार्यरत बल	अधिक / कम	अभ्युक्ति
1	सदस्य	2	2	—	—
2	कार्यालय सचिव	01	1	—	जिला शिक्षा पदा0 प्रतिनियुक्त
3	लिपिक सह कम्प्यूटर ऑपरेटर	02	1	/ 1	जिला शिक्षा पदा0 कार्यालय द्वारा प्रतिनियुक्त
4	आदेशपाल	01	शून्य	/ 1	

भाग– 2

(5) रूपये 2184.00 महँगाई भत्ता का अनियमित भुगतान वसूली योग्य :–

वर्ष 09–10 के वेतन भुगतान पंजी की जाँच में पाया गया कि श्री राम किशोर प्र0 सिंह, सदस्य को दिनांक 25.1.10 (योगदान तिथि) से 31.1.10 तक के अवधि हेतु वेतन एवं वाहन भत्ता के रूप में क्रमशः 4340.00 तथा 2254.00 का भुगतान दिनांक 4.2.10 को किया गया। पुनः महँगाई भत्ता के रूप में रू0 1172.00 एवं रूपया 1538.00 क्रमशः दिनांक 3.3. 10 एवं दिनांक 2.6.10 को किया गया। इस प्रकार श्री सिंह को 4340.00+ 2254.00 +1172.00 +1538.00 कुल रूपये 9304.00 का भुगतान किया गया। चूँकि नियोजित सदस्यों को महँगाई भत्ता की राशि का सामंजन उसके साथ भुगतीत वेतन एवं वाहन भत्ता के साथ दिनांक 3.1.12 को किया गया था। जिसमें रू0 9304.00 की जगह मात्र 7120.00 का ही सामंजन इनको जनवरी 2010 के देय वेतन की अंतर राशि से किया गया। इस संबंध में मानव संसाधन विकास विभाग के संकल्प सं0 3153 दिनांक 25.8.2008 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि सेवा निवृत सदस्यों को उनके सेवा निवृत्ति के समय प्राप्त अंतिम मूल वेतन + 50 प्रतिशत म0 वेतन में से मूल पेंशन की राशि (महंगाई भत्ता रहित) घटाने के पश्चात जो शेष राशि बचेगी वही भुगतेय है।

अतः शेष राशि (9304–7120)= 2184.00 की वसूली श्री सिंह से कर कोषागार में उचित शीर्ष में जमा किया जाय एवं फलाफल से वित्त अंकेक्षण विभाग को अवगत कराया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम एवं पदनाम

(1)

(2)

(6) रूपये 84.00 निबंधन शुल्क के रूप में अधिक भुगतान वसूली योग्य :–

वित्तीय वर्ष 09–10 के आकस्मिककता मद के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि दिनांक 16.4.2010 को 28 पत्रों के निबंधन हेतु डाक विभाग द्वारा 28X22 = रू0 616.00 शुल्क के रूप में लिया गया था। परन्तु उक्त तिथि को 28 पत्रों के निबंधन से संबंधित अभिश्रव सं0 – 19/09–10 में 25.00 रूपये प्रति की दर से कुल 700.00 का भुगतान रोकड़ पुस्त में दिखाया गया है। इस प्रकार रू0 84.00 का वास्तविक व्यय से अधिक का भुगतान अंकित पाया गया।

अतः रूपये 84.00 संबंधित दोषी व्यक्ति से वसूल कर कोषागार में उचित शीर्ष में जमा किया जाय एवं वित्त (अंकेक्षण) विभाग बिहार को फलाफल से अवगत कराया जाय।

(7) रूपये 40715.00 का अभिश्रव अनुपालब्ध राशि आपत्ति अंतर्गत :–

वित्तीय वर्ष 09–10 के रोकड़ पुस्त एवं आकस्मिक मद के व्यय की जाँच में पाया गया कि रोकड़ पुस्त के व्यय पक्ष में विभिन्न तिथियों में विभिन्न व्यक्तियों को सामग्रियों की आपूर्त्ति के पश्चात जमा अभिश्रव के विरूद्ध रूपये 40715.00 का भुगतान अंकित किया गया था। विवरणी निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	भुगतान प्राप्त करने वाले व्यक्ति का नाम	राशि	भुगतान तिथि
1	श्री गौरी शंकर महतो कार्यालय सचिव	2000.00	16.04.2009
2	श्री गौरी शंकर महतो कार्यालय सचिव	2155.00	08.05.2009
3	श्री गौरी शंकर महतो कार्यालय सचिव	5950.00	21.05.2009
4	श्री गौरी शंकर महतो कार्यालय सचिव	6599.00	03.06.2009
5	डी0 एस0 सी0 मोतिहारी	16011.00	09.01.2010
6	श्री गोपाल राउत	3000.00	25.2.2010
7	श्री कमोद पासवान	5000.00	18.2.2010
	कुल योग–	40715.00	

परन्तु उक्त राशि से संबंधित अभिश्रव अंकेक्षण में प्रस्तुत नही किया गया फल्स्वरूप अंकित व्यय राशि की जाँच नही की जा सकी इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में कोई संतोष जनक उत्तर नही दिया गया।

अतः रू0 40715.00 का अभिश्रव अगले अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय तब तक उक्त राशि आपत्ति अंतर्गत रखी जाती है।

(8) भंडार पुस्त में प्रविष्टि एवं क्रय सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया के अभाव में रू0 15181.00 का व्यय आपत्ति अंतर्गत :–

वित्तीय वर्ष 08–09 एवं 09–10 के अभिश्रवों की जाँच में पाया गया कि कार्यालय द्वारा क्रय किये गये विभिन्न सामग्रियों की प्रविष्टि भंडार पुस्त में नही की गयी थी। इन सामानों के क्रय से संबंधित अभियाचना नही किया पाया गया। फलतः अंकेक्षण द्वारा क्रय के औचित्य की जाँच नही की जा सकी। इस संबंध में निर्गत आपत्ति के अनुपालन में संतोष जनक उत्तर नही दिया गया।

अतः उक्त सामानों के क्रय पर किया गया व्यय कुल रूपये 15181.00 को आपत्ति अंतर्गत रखा जाता है तथा सक्षम पदाधिकारी को यह सुझाव दिया जाता है कि सक्षम पदाधिकारी द्वारा सामग्री की वास्तविक स्थिति एवं व्यय की वस्तुस्थिति की छानबीन कर एवं भंडार पंजी में सामग्रियों की प्रविष्टि करा कर फलाफल से वित्त (अंकेक्षण) विभाग को अवगत कराया जाय। भविष्य में सामग्रियों के क्रय करते समय उपरोक्त आवश्यक प्रक्रिया का पालन किया जाय।

क्रीत सामानों का विवरण निम्नवत् है :–

क्र0	अभिश्रव सं0 एवं वर्ष	सामग्री का नाम	प्रतिष्ठान का नाम	अदद	दर	राशि	भुगतान तिथि
1	1/08–09	खिड़की का पर्दा	सुपर मधुबनी खादी भंडार मोतिहारी	8	75/	600.00	21.1.10
2	7/09–10	आलमीरा	जय माता दी फर्नीचर मोतिहारी	1	5500/	5500.00	17.2.10
3	7/09–10	रैक	''	1	3500/	3500.00	17.2.10
4	1/09–10	सेलो थरमस (2 लीटर)	स्टील कॉर्नर मोतिहारी	1	1250/	1250.00	23.1.10

5	1/09–10	सेलो थरमस (1 लीटर)	''	1	303/	303.00	23.1.10
6	1/09–10	एरा ग्लास	''	6	–	128.00	23.1.10
7	48/49/09–10	तूफान पंखा	विकास इलेक्ट्रोनिक्स मेन रोड मोतिहारी	2	750/	1500.00	09.04.09
8	5/09–10	सुप्रीम कुर्सी	जय माता दी फर्नीचर	6	400/	2400.00	21.1.10

कुल– 15181.00

भाग–3 (सुझावात्मक)

(9) भंडार का भौतिक सत्यापन :– बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 143 एवं 149 के अनुसार भंडार का भौतिक सत्यापन वर्ष में दो बार कार्यालय के पदाधिकारी द्वारा किया जाना चाहिऐ था परंतु भंडार पुस्त में कही भी भौतिक सत्यापन का जिक्र नही था। भविष्य में उपरोक्त नियम का पालन दृढ़ता से किया जाना अपेक्षित है।

(10) संवरण शेष का भौतिक सत्यापन :– बिहार कोषागार संहिता भाग–1 के नियम 86 (2) के अनुसार प्रत्येक माह के अंत में संवरण शेष राशियों भौतिक सत्यापन रोकड़ पुस्त में दिखाये गये। जो नही किया पाया गया। अतः भविष्य में इस ओर आवश्यक ध्यान दिया जाय।

उप लेखा नियंत्रक

वित्त(अंकेक्षण)विभाग,बिहार पटना

मिलान एवं शुद्धिकर्त्ता का नाम

(1)

(2)

परिशिष्ट "क"

कंडिका "ट" से संबंधित

प्रस्तुत अभिलेखें की सूची :–

1. रोकड़ पुस्त
2. वेतन भुगतान पंजी
3. अभिश्रव की रक्षी संचिका
4. कार्यालय किराया से संबंधित रजिस्टर
5. भंडार पुस्त
6. बैंक खाता का स्टेटमेंट
7. आवंटन से संबंधित संचिका
8. चेक बुक का काउन्टर फाइल

अप्रस्तुत अभिलेखों की सूची :–

1. सामग्रियों का वितरण पंजी
2. आकस्मिकता पंजी
3. निरीक्षण पंजी
4. सदस्यों के वेतन निर्धारण संबंधी संचिका

परिशिष्ट "ख" कंडिका '3' से संबंधित

आय– व्यय विवरणी वर्ष 2008–09

क्र0	मद	प्राप्त अनुदान की राशि	पूर्व का अवशेष	08–09 प्राप्त राशि (कुल राशि)	व्यय की राशि	अधिक व्यय	बचत/अवशेष रशि	अभ्युक्ति
1	प्राधिकार के सदस्यों का वेतन	180000.00	–	180000.00	–	–	180000.00	
2	वाहन एवं भत्ता	100000.00	–	100000.00	–	–	100000.00	
3	कम्प्युटर आपरेटर मानदेय	84000.00	–	84000.00	–	–	84000.00	
4	कार्यालय का भाड़ा	60000.00	–	60000.00	–	–	60000.00	
5	आकस्मिकता मद	25000.00	–	25000.00	–	–	25000.00	
	कुल योग–	449000.00	–	449000.00	–	–	449000.00	

परिशिष्ट ''ख'' कंडिका '3' से संबंधित

आय– व्यय विवरणी वर्ष 2009–10

क्र0	मद	प्राप्त अनुदान की राशि	पूर्व का अवशेष	08–09 प्राप्त राशि (कुल राशि)	व्यय की राशि	अधिक व्यय	बचत/अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	सदस्यो का वेतन	480000.00	180000.00	660000.00	213805.00	–	446195.00	
2	वाहन एवं भत्ता	240000.00	100000.00	340000.00	163794.00	–	176206.00	
3	कम्प्यूटर आपरेटर मान0	120000.00	60000.00	180000.00	44000.00	–	136000.00	
4	कार्यालय का भाड़ा	168000.00	84000.00	252000.00	–	–	252000.00	
5	आकस्मिकता मद	50000.00	25000.00	75000.00	62641.00	–	12359.00	
6	कम्प्यूटर रख रखाव	60000.00	–	60000.00	–	–	60000.00	
7	उपस्कर एवं कार्यालय सामग्री	30000.00	–	30000.00	30000.00	–	–	
	कुल योग–	1148000.00	449000.00	1597000.00	514240.00	–	1082760.00	

परिशिष्ट "ख" कंडिका '3' से संबंधित

आय– व्यय विवरणी वर्ष 2009–10

क्र0	मद	प्राप्त अनुदान की राशि	पूर्व का अवशेष	08–09 प्राप्त राशि (कुल राशि)	व्यय की राशि	अधिक व्यय	बचत/अवशेष राशि	अभ्युक्ति
1	सदस्यो का वेतन	480000.00	180000.00	660000.00	213805.00	–	446195.00	
2	वाहन एवं भत्ता	240000.00	100000.00	340000.00	163794.00	–	176206.00	
3	कम्प्यूटर आपरेटर मान0	120000.00	60000.00	180000.00	44000.00	–	136000.00	
4	कार्यालय का भाड़ा	168000.00	84000.00	252000.00	–	–	252000.00	
5	आकस्मिकता मद	50000.00	25000.00	75000.00	62641.00	–	12359.00	
6	कम्प्यूटर रख रखाव	60000.00	–	60000.00	–	–	60000.00	
7	उपस्कर एवं कार्यालय सामग्री	30000.00	–	30000.00	30000.00	–	–	
	कुल योग–	1148000.00	449000.00	1597000.00	514240.00	–	1082760.00	

परिशिष्ट "ख" कंडिका '3' से संबंधित

आय– व्यय विवरणी वर्ष 2010–11

क्र0	मद	प्राप्त अनुदान की राशि	पूर्व का अवशेष	08–09 प्राप्त राशि (कुल राशि)	व्यय की राशि	अधिक व्यय	बचत/अवशेष राशि	चेक सं0 294581 दि0 14.12.10 द्वारा अभ्युक्ति कोषागार में जमा राशि (चालान सं0 358 दि0 14.12.10)
1	सदस्यो का वेतन	300000.00	446195.00	746195.00	671086.00	–	75109.00	–
2	वाहन एवं भत्ता	75000.00	176206.00	251206.00	240000.00	–	11206.00	–
3	कार्यालय का भाड़ा	25000.00	136000.00	161000.00	44000.00	–	117000.00	100000.00
4	कम्प्यूटर आपरेटर मान0	–	252000.00	252000.00	–	–	25200.00	252000.00
5	आकस्मिकता मद	30000.00	12359.00	42359.00	39500.00	–	2859.00	2859.00
6	कम्प्यूटर रख रखाव	–	60000.00	60000.00	–	–	60000.00	60000.00
7	उपस्कर एवं कार्यालय सामग्री	10000.00	–	10000.00	10000.00	–	–	–
	कुल योग–	440000.00	1082760.00	1522760.00	1004586.00	–	518174.00	414859.00

(31.3.11 संवरण शेष – 103315.00)